# षोडश

# बिहार विधान सभा

## द्वादश सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 23 माघ, 1940 (श0)
12 फरवरी, 2019 (ई0)

**प्रश्नों की कुल संख्या 02**

| | |
|---|---|
| (1) मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | 01 |
| (2) शिक्षा विभाग | 01 |
| कुल योग — | 02 |

निबंधन शुल्क लेना

1. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या 4008, दिनांक 4 दिसम्बर, 2018 एवं 4009, दिनांक 7 दिसम्बर, 2018 द्वारा स्टाम्प ड्यूटी 50 रुपये तथा निबंधन शुल्क 50 रुपये कुल 100 रुपये में बंटवारा निबंधन करने का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निबंधन विभाग द्वारा सरकार की अधिसूचना के विपरीत 50 रुपये स्टाम्प शुल्क एवं 50 रुपये निबंधन शुल्क पर 5,000 रुपये का आई-फी लेकर बंटवारा निबंधन किया जा रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि आई-फी का सिद्धान्त है कि निबंधन के लिये साधारण फीस या आई-फी के 5,000 रुपये दोनों में से जो भी कम हो लिया जायेगा, परन्तु निबंधकों के द्वारा 50 रुपये नहीं लेकर 5,000 रुपये आई-फी के रूप में लिया जा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त अधिसूचना के अनुरूप बंटवारा निबंधन शुल्क लेना सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करना

2. श्री ललित कुमार यादव--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 20 जनवरी, 2019 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार में साढ़े चौदह लाख फर्जी दाखिला, 'आधार' से पकड़ाया" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में कक्षा एक से आठ तक के साढ़े चौदह लाख छात्रों का फर्जी नामांकन दिखाकर प्रधानाध्यापकों द्वारा सरकारी योजना की करोड़ों रुपये की राशि का गबन किया गया है, जिसे डी0ई0ओ0, पटना द्वारा भी स्वीकार किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि छात्रों को आधार से जोड़ने के बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही 14 लाख 52 हजार 462 छात्रों का नामांकन फर्जी पाया गया है, जबकि कक्षा एक से आठवीं तक छात्रवृत्ति, पोशाक आदि योजना के मद में 7,000 रुपये प्रति छात्र दी जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार फर्जी नामांकन दिखाकर करोड़ों रुपये की अनियमितता/गबन करनेवाले दोषी प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

पटना :
दिनांक 12 फरवरी, 2019 (ई0) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0 145(एल0ए0), 2018-19-डी0टी0पी0-550